

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 124/2012

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 भंवरसिंह पुत्र सोमसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दूदनी तहसील बाली		1 मोहब्बतसिंह पुत्र सोमसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दूदनी तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत दूदनी तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

-: निर्णय :-

दिनांक 7.11.2012

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 46/1983-1984, संकल्प संख्या 3 दिनांक 23.12.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4594 दिनांक 23.12.1999 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा दिनांक 17.01.2013 को रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि भंवरसिंह व मोहब्बतसिंह दोनो भाई है। मोहब्बतसिंह ने दिनांक 13.09.1983 को ग्राम पंचायत दूदनी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र में भूमि की लम्बाई, चौड़ाई व नाप आदि अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कब, किस दिनांक को एवं किस पत्रावली के सन्दर्भ में मौका निरीक्षण किया गया, यह कहीं भी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.10.1983 को आपत्ति इशतिहार जारी करने के आदेश दिये गये, जबकि लगभग 7 वर्ष तक कोई आपत्ति इशतिहार जारी नहीं किया गया। दिनांक 11.10.1990 को आपत्ति इशतिहार जारी किया गया, किन्तु वह भी कितनी भूमि बाबत जारी किया गया, अंकित नहीं है। उक्त आपत्ति सूचना किन व्यक्तियों के समक्ष कहां पर चरपा की गई ? यह भी अंकित नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं उनके भाईयों की पुश्तैनी भूमि है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर विधि विरुद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी करने में प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कार्यवाही की है, जो कानूनन गलत है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपने कथनों में मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया कि आवेदन पत्र में नाप चौक अंकित नहीं किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने आवेदन पत्र में



प्रश्नगत भूमि के पडौस अंकित किये हैं, विधि अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में एक निगरानी दायर हुई थी, जिसके संलग्न नक्शा प्रस्तुत किया गया था। उक्त नक्शे में प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का मकान निर्मित होना अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि पूर्व में जो निगरानी दायर हुई थी एवं उसके संलग्न जो नक्शा लगा था उसमें उक्त भूमि अप्रार्थी ने शामिल बताई है एवं अपना हिस्सा अलग बताया, किन्तु बंटवाड़े का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जबकि वास्तविक रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है। हमने जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है, जो शामिल है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टे की भूमि पुश्तैनी है एवं पंचायत द्वारा मिलावट करते हुए विधि विरुद्ध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त करावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। यह निगरानी ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 46/1983-1984, संकल्प संख्या 3 दिनांक 23.12.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4594 दिनांक 12.12.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि मोहब्बतसिंह द्वारा दिनांक 13.09.1983 को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 14.09.1983 को मिसल कायम कर ग्राम सेवक को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में नक्शा कायम किया गया, उस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 10.10.1983 को मिसल प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। इन वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 10.10.1983 को निरीक्षण किया गया तथा वांछित भूमि पर मोहब्बतसिंह का पुराना कब्जा एवं मकान होना बताया। इस पर दिनांक 24.10.1983 को अस्थाई विक्रय करने एवं आपत्ति इशतिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की पालना में आपत्ति इशतिहार दिनांक 27.08.1990 को जारी किया गया, जो आदेश के लगभग 7 वर्ष पश्चात जारी किया गया। इसके बाद दिनांक 18.12.1990 को किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी को शहादत प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 06.07.1999 को दो गवाहों के बयान लिये जाकर निर्णय हेतु मिसल आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इसके बाद दिनांक 23.12.1999 को नियम 157 'क' के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जहां तक प्रश्नगत भूमि के पुश्तैनी होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल की आदेशिका दिनांक 24.10.1983 में उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना पुश्तैनी कब्जा होना स्वीकार किया है तथा गवाहों द्वारा भी अपने बयान में पुश्तैनी कब्जा स्वीकार किया है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि थी। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 46/1983-1984, संकल्प



दि. 10/12/2012
 दि. 10/12/2012
 दि. 10/12/2012

संख्या 3 दिनांक 23.12.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4594 दिनांक 23.12.1999 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत दुदनी को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में वर्णित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत दुदनी का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली